उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन' नियर आई0एस0बी0टी0, पो0ओ0–माजरा, देहरादून– 248171
फोन–0135–2641119 फैक्स–2641314 वेबसाईट www.uerc.gov.in ई–मेल– uttaranchalerc@rediffmail.com

निविदा सूचना

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग में वर्ष 2014–15 के लिये कार्यालय परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु, सफाई कार्यों एवं रख–रखाव में दक्ष एवं पंजीकृत एजेन्सी/फर्मों से मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है जो कि दिनांक 26 फरवरी, 2014 को अपराह्न 03:00 बजे तक आयोग कार्यालय में प्राप्त की जायेगी एवं उसी दिवस को सायः 04:00 बजे खोली जायेंगी। इच्छुक निविदा–दाता उक्त तिथि एवं समय पर निविदा खुलने में भाग ले सकते है। निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र एवं शर्तें आयोग कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में बिना किसी शुल्क के प्राप्त की जा सकती है अथवा आयोग की वेबसाईट www.uerc.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। निविदा हेतु लिफाफे के ऊपर ''वर्ष 2014–15 के लिए उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु निविदा'' अंकित करना अनिवार्य है। निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में रू0 5,000/–(रूपया पॉच हजार मात्र) एफडीआर/सीडीआर/टीडीआर के रूप में जमा किया जाना अनिवार्य है। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। इच्छुक निविदा दाता निविदा प्रस्तुत करने से पहले कार्यालय परिसर जहां रोजमर्रा की सफाई व्यवस्था की जानी है, का निरीक्षण कर सकते हैं। बिना कोई कारण बताये एक या समस्त निविदाओं को निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के पास सुरक्षित होगा।

Advt. No. 18/13-14

सचिव

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन' नियर आई0एस0बी0टी0, पो0ओ0–माजरा, देहरादून– 248171

फोन–0135–2641119 फैक्स–2641314 वेबसाईट www.uerc.gov.in ई–मेल– uttaranchalerc@rediffmail.com

निविदा हेतु निर्धारित शर्तें एवं प्रपत्र

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग में वर्ष 2014–15 के लिये कार्यालय परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु, सफाईकार्यों एवं रख–रखाव में दक्ष एवं पंजीकृत एजेन्सी/फर्मों से मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है जो कि दिनांक 26 फरवरी, 2014 की अपराह्न 03:00 बजे तक आयोग कार्यालय में प्राप्त की जायेगी। डाक इत्यादि में विलम्ब के लिये आयोग कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं है। निविदायें गठित समिति के द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2014 को सायः 04:00 बजे खोली जायेगी। इच्छुक निविदा–दाता उक्त तिथि एवं समय पर उपस्थित हो कर निविदा में भाग ले सकते है।

निविदा हेतु शर्तें एवं अनुदेश :–

1. निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र आयोग कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 25 फरवरी 2014 तक बिना किसी शुल्क के प्राप्त किये जा सकते है अथवा आयोग की वेबसाईट www.uerc.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते है।
2. निविदाएं केवल निर्धारित प्रपत्र पर ही मान्य होगी। निर्धारित प्रपत्र के अलावा प्रेषित निविदा मान्य नहीं होगी एवं निरस्त एवं अस्वीकृत समझी जायेंगी।
3. निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में रू0 5,000/–(रूपया पॉच हजार मात्र) जमा किया जाना अनिवार्य है। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। धरोहर राशि एफडीआर/सीडीआर/टीडीआर के रूप में सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून के पक्ष में बनायी जानी होगी।
4. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत होगी उसको इंगित कार्यकाल हेतु कुल निविदा धनराशि के 10 प्रतिशत के बराबर की धनराशि प्रतिभूति राशि शड्यूल बैंक की एफडीआर/सीडीआर/टीडीआर अथवा बैंक गारंटी के रूप में जमा करायी जायेगी।
5. अन्य असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि पन्द्रह दिनों में वापस कर दी जायेगी।
6. निविदादाता यह निश्चित करेंगे कि उनके द्वारा कार्य हेतु तैनात कर्मियों को देय वेतन उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृत न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा।

7. किसी भी निविदा एवं समस्त निविदाओं को अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा।
8. भुगतान की दशा में नियमानुसार देय आयकर तथा अन्य कर की कटौती की जायेगी।
9. जिस पंजीकृत एजेंसी / फर्म की निविदा स्वीकृत होगी, उनके द्वारा कार्य आदेश के उपरान्त कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। ऐसा न करने की स्थिति में, जमानती धनराशि जब्त करते हुये, सम्बन्धित पंजीकृत एजेन्सी / फर्म को ब्लैक लिस्टेड भी घोषित किया जा सकता है, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित पंजीकृत एजेन्सी / फर्म का होगा।
10. एजेंसी के कर्मियों द्वारा आयोग परिसर में धूम्रपान अथवा मादक द्रव्यों का सेवन करना वर्जित होगा।
11. फर्म / एजेंसी द्वारा जो भी कर्मी आयोग में तैनात किये जायें, वे मानसिक व शारीरिक तौर पर स्वस्थ हों तथा 18 वर्ष से कम व 50 वर्ष से अधिक आयु के न हों। अनुभवी कार्मिकों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त किया जाना आवश्यक होगा एवं प्रत्येक कर्मी को आठ घण्टे ड्यूटी करना अनिवार्य होगा।
12. तैनात किये गये कर्मियों से सुचारू रूप से कार्य कराने हेतु ठेकेदार द्वारा अपने पर्यवेक्षक / सुपरवाईजर की तैनाती की जानी अनिवार्य होगी, जो सम्बन्धित कर्मियों से ड्यूटी लिस्ट के अनुसार कार्य करा सके, तथा इनके कार्यों का सत्यापन कर देय बिल के साथ अपनी रिपार्टे संलग्न कर सके ताकि बिलों के भुगतान में किसी भी प्रकार की शंका की गुंजाइश न रह सके। तैनात किये गये पर्यवेक्षक को एजेंसी / फर्म द्वारा अपने स्तर से भुगतान किया जायेगा। आयोग से इस सम्बन्ध में कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा।
13. आयोग में स्वीकृत फर्म द्वारा माह के प्रत्येक दिन कर्मियों की तैनाती की जानी आवश्यक होगी एवं अवकाश के दिनों में भी कार्य करना होगा। यदि किसी भी कर्मी को अवकाश की आश्यकता होगी तो फर्म द्वारा नियमानुसार इनका अवकाश अपने स्तर पर स्वीकृत किया जायेगा तथा इनके स्थान पर अन्य कर्मी की तैनाती अवकाश स्वीकृत करने से पूर्व की जानी आवश्यक होगी ताकि आयोग के कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो सके।
14. निर्धारित कार्य अवधि में कार्मिकों की कार्यस्थल पर भौतिक उपस्थिति अनिवार्य होगी।
15. आयोग कार्यालय की सफाई व्यवस्था हेतु निम्नलिखित कार्य किये जाने हैं—

    (क) सफाई का कार्य प्रतिदिन सुबह 8:30 से सायं 05:00 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहकर नियमित अन्तराल पर यथावश्यक रूप से किया जाना होगा।

    (ख) समस्त कमरों, बरामदों व कार्यालय परिसर के आन्तरिक एवं बाहरी एरिया में झाड़ू लगाना, समस्त कमरों, कम्प्यूटर कक्षों एवं बरामदों के फर्श पर प्रतिदिन फिनाईल या अन्य उपयुक्त लिक्विड से पोछा लगाना।

    (ग) दीवारों, खिड़की, रोशनदानों में लगे मकड़ी के जाले हटाना तथा साफ—सफाई करना।

(घ) बाथरूम, टॉयलट आदि की फिनाईल/तेजाब या अन्य उपयुक्त लिक्विड से प्रतिदिन धुलाई/सफाई कराना। टॉयलेट की नालियां/सीटों के चोक हो जाने की दशा में उनकी सफाई करना।

(ड़) सप्ताह में एक दिन कमरों/बरामदों की वाशिंग पाउडर से धुलाई करना।

16. कार्यालय परिसर/आवासीय परिसर में एकत्रित कूड़े का निस्तारण फर्म को स्वयं करना होगा, जिसके लिए अलग से कोई धनराशि देय नहीं होगी।

17. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। भुगतान मासिक आधार पर माह पूर्ण होने पर फर्म द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

18. फर्म का दायित्व होगा कि वह कार्य करने वाले श्रमिकों का भुगतान माह समाप्त होने के सात दिन के अन्दर करना सुनिश्चित करेगा। मजदूरी भुगतान के सम्बन्ध में विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

19. फर्म/श्रमिकों के बीच में यदि कोई विवाद/दुर्घटना होती है, तो उसका दायित्व आयोग का नहीं होगा। उसका निरस्तारण फर्म द्वारा किया जायेगा।

20. सफाई कर्मी के अनुपस्थित रहने पर अथवा सफाई का स्तर अच्छा न होने पर उस दिन के समतुल्य भुगतान एवं पिचहत्तर रूपये प्रतिदिन दण्ड के रूप में फर्म से वसूली की जायेगी।

21. कार्य सन्तोषजनक न पाये जाने पर आयोग को यह अधिकार होगा कि वह 1 माह पूर्व सूचना पर करार को निरस्त कर दें, इसमें किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

22. फर्म द्वारा जो भी कर्मी आयोग में तैनात किये जायेंगे उनका पुलिस सत्यापन करने का पूर्ण उत्तरादायित्व स्वीकृत फर्म का होगा। जिन कर्मियों का पुलिस सत्यापन किया जा चुका है उन्हीं को ही आयोग में नियुक्त किया जाये तथा सत्यापन की एक प्रति भी आयोग के रिकार्ड्स हेतु उपलब्ध करायें। पुलिस सत्यापन सर्टिफिकेट छः माह से अधिक पुराना मान्य नहीं होगा।

23. किसी भी विवाद की दशा में सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

24. फर्म द्वारा आयोग में तैनात किये गये कर्मियों के द्वारा यदि आयोग में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के साथ अभद्रता की जाती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकृत फर्म का होगा। ऐसे व्यक्ति को फर्म द्वारा त्वरित रूप से बदलना होगा।

25. ठेकेदार द्वारा नियुक्त सफाई कर्मियों को प्रत्येक दिन (कार्यदिवस/अवकाश) प्रातः 8:30 बजे आयोग में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

26. एजेंसी/फर्म द्वारा कम से कम 03 सफाई कर्मी आयोग में नियुक्त करेगा। यदि आयोग उचित समझे जो भविष्य में कार्य के अनुरूप अधिक कार्मिक भी फर्म से लिये जा सकते है।

27. निविदा दाता द्वारा श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम देय मजदूरी से कम का भुगतान कर्मचारियों को नहीं किया जाएगा। न्यूनतम देय से कम मजदूरी देने पर सम्बन्धित फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा एवं उसकी प्रतिभूति धनराशि को आयोग द्वारा जब्त कर दिया जाएगा। साथ ही कानूनों के उल्लघंन की उचित कार्यवाही की जायेगी।

28. निविदा स्वीकृत होने पर स्वीकृत पंजीकृत एजेन्सी/फर्म को आयोग के साथ 100.00 रू0 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र भरना अनिवार्य होगा।

29. निविदा के साथ पंजीकृत एजेन्सी/फर्म के द्वारा निम्न प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :–

1– रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति (कान्ट्रेक्ट लेबल एक्ट 1970 एवं केन्द्रीय सीमा एवं उत्पाद शुल्क विभाग के सेवा कर)।

2– वर्तमान में कराये गये शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विभागों द्वारा दिये गये अनुभव प्रमाण पत्र।

4– हैसियत प्रमाण पत्र C.A. द्वारा जारी किया गया हो, जिसकी हैसियत लगभग 20,00000 (बीस लाख रू0) होनी आवश्यक है एवं विगत दो वर्षों का टर्न ओवर संलग्न करें।

5– विगत दो वर्षों में शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय में किये गये कार्यों का प्रमाण पत्र।

6– आयकर PAN की छाया प्रति।

सचिव
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन' नियर आई0एस0बी0टी0, पो0ओ0–माजरा, देहरादून– 248171
फोन–0135–2641119 फैक्स–2641314 वेबसाइट www.uerc.gov.in ई–मेल– uttaranchalerc@rediffmail.com

निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र

फर्म का नाम : ....

पता : ....
....
....

दूरभाष : ....

क0सं0	विवरण	दर (रूपये में)	टैक्स दर	कुल
1.	दर प्रति सफाई कार्मिक (प्रतिमाह)			
2.	सफाई हेतु समस्त सामाग्रियों की कुल दर (प्रतिमाह)			
3.	कोई अन्य दर			

नाम, हस्ताक्षर एवं फर्म की मुहर

संलग्न :–
1. निर्धारित शर्तें एवं प्रपत्र निविदादाता के हस्ताक्षर सहित।
2. रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति।
3. सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति।
4. टर्न ओवर की छाया प्रतियां।
5. फर्म द्वारा किये जा रहे कार्यों के आदेश की छाया प्रति।
6. फर्म द्वारा किये गये कार्यों के प्रमाण–पत्र की छाया प्रतियां।